डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वित्तपोषित ''केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषि सहकारिता परियोजना'' (CSISAC) में डेरी विकास कार्यक्रमों अन्तर्गत 03 एवं 05 दुधारू पशुओं की इकाई स्थापित किये जाने के लिए लाभार्थी चयन, ऋण वितरण एवं ऋण वसूली के लिए सामान्य मार्ग निर्देश–

- योजनान्तर्गत लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों के चयन का उत्तरदायित्व सम्बन्धित दुग्ध संघ का होगा।
- दुग्ध संघ द्वारा, सम्बन्धित समिति में आम बैठक आयोजित कराते हुए लाभार्थियों का चयन किया जायेगा इस हेतु निर्धारित प्रारूप पर दुग्ध समिति प्रस्ताव पारित करेगी। **(संलग्नक–1)**
- लाभार्थी चयन में यह सावधानी पूर्व से ही रखी जायेगी कि चयनित किया जा रहा लाभार्थी किसी भी बैंक का defaulter सदस्य न हो।
- चयनित लाभार्थी का आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप **(संलग्नक–2)** पर पूर्ण रूप से भरा हुआ, सम्बन्धित जिला सहकारी बैंक शाखा को उपलब्ध कराया जायेगा।
- बैंक द्वारा स्वीकृत आवेदन फार्मों के सापेक्ष ऋण एवं अनुदान धनराशि परियोजना कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।
- स्वीकृत इकाई राशि में से दुधारू पशु क्रय हेतु निर्धारित धनराशि लाभार्थी द्वारा क्रय किये गये उन्नत नस्ल के दुधारू पशु के सापेक्ष पशु विक्रेता को बैंक द्वारा सीधे भुगतान की जायेगी।
- लाभार्थी द्वारा दुधारू पशु परियोजना कार्यालय द्वारा राज्य के बाहर निर्धारित पशु फार्मों की सूची में सूचीबद्ध फार्मों से ही क्रय किये जायेगे। यदि दुधारू पशु राज्य के बाहर अन्यत्र स्थान से क्रय किये जाते है तो इसकी पूर्व अनुमति परियोजना निदेशक डेरी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- पशु बीमा की धनराशि दुग्ध संघ स्तर से सीधे बीमा कम्पनी को भुगतान की जायेगी साथ ही पशु का ट्रांजिट बीमा भी कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शेष मदों में निर्माण कार्य की धनराशि दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध समिति के माध्यम से लाभार्थी को तथा इकाई लागत में निर्धारित सामान दुग्ध संघ द्वारा लाभार्थी को उपलब्ध कराया जायेगा।
- दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति/संघ/डेरी विकास विभाग द्वारा समय–समय पर लाभार्थी को तकनीकी परामर्श एवं पशुचिकित्सा सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।
- जनपदीय सहायक निदेशक डेरी, एन0सी0डी0सी0योजना के नोडल अधिकारी होगें।
- स्वीकृत ऋण पर ब्याज 12.00 प्रतिशत की दर से देय होगा। ऋण की वापसी मय ब्याज के 05 वर्ष में करने हेतु मासिक किस्त का निर्धारण परियोजना कार्यालय (डेरी) द्वारा किया जायेगा।
- लाभार्थी द्वारा प्राप्त ऋण की अदायिगी, संशाधनों की उपलब्धता पर न्यूनतम 03 वर्षों में ऋण अदा किया जा सकता है। योजनान्तर्गत क्रय किये गये दुधारू पशु ऋण अदा होने तक बिक्री नही किये जा सकेगें।
- लाभार्थी द्वारा प्रतिदिन उत्पादित दूध में से विक्रय योग्य समस्त दूध सम्बन्धित दुग्ध सहकारी समिति को ऋण अदा होने तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना होगा।

क्रमशः.....02

- योजनान्तर्गत दुग्ध समिति को प्राप्त धनराशि से सम्बन्धित अभिलेख समिति स्तर पर सुरक्षित रखे जाने का उत्तरदायित्व समिति सचिव एवं पर्यवेक्षक का होगा।
- लाभार्थी को उपलब्ध कराये गये ऋण की वसूली का उत्तरदायित्व सम्बन्धित दुग्ध संघ का होगा।
- ऐसे लाभार्थी जिनके पास ऋण प्राप्ति हेतु आवश्यक भूमि का आभाव होगा, उन्हे मात्र इसी आधार पर ऋण से वंचित नही किया जायेगा।
- योजनान्तर्गत क्रय किया जाने वाला पशुधन राज्य के बाहर से ही क्रय किया जायेगा। पशुक्रय सुनिश्चित किये जाने के लिए जनपद स्तर पर पशु क्रय कमेटी बनाई जायेगी, जो कि पशु क्रय से पूर्व संलग्न विवरणानुसार पशु की जांच कर क्रय सम्बन्धी कार्यवाही करेगें। **(संलग्नक–3)**
- पशुक्रय हेतु निर्धारित दुधारू पशु क्रय कमेटी द्वारा लाभार्थी के फोटो पशु सहित, क्रय रसीद आदि का संरक्षण निर्धारित प्रारूप **(संलग्नक–4)** पर किया जायेगा तथा एक प्रति दुग्ध संघ स्तर पर संरक्षित करते हुए सम्बन्धित बैंक शाखा को उपलब्ध कराई जायेगी।
- योजनान्तर्गत क्रय किये जाने वाले दुधारू पशु को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का कार्य दुग्ध संघ में तैनात पशु चिकित्सक द्वारा किया जायेगा तथा बीमा प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के लिए सम्बन्धित पशु चिकित्सक एवं दुग्ध संघ के प्रभारी पी0 एण्ड आई0 पूर्णरूप से उत्तरदायी होगे।

(संलग्नक–1)

सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि

आम बैठक

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0.....जनपद.....

बैठक का स्थान..... दिनांक–..... समय–.....

उपस्थिति– (बैठक में उपस्थित समस्त के नाम व हस्ताक्षर अंकित किये जायें)

1–
2–
3–
4–
5–
,
,

प्रस्ताव	विचार
प्रस्ताव संख्या–..... एन0सी0डी0सी0 योजनान्तर्गत ऋण के सम्बन्ध में बैठक में उपस्थितों को जानकारी प्रदान किये जाने पर विचार।	– बैठक मे उपस्थित समिति पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य सरकार के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य में डेरी क्षेत्र के विकास हेतु एन0सी0डी0सी0 के माध्यम से दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को 03 एवं 05 दुधारू पशुओं की डेरी इकाई स्थापित किये जाने के लिये एक ऋण योजना स्वीकृत की गयी है, जिसमें 03 पशु इकाई के लिये इकाई लागत रू0 2,46,500 तथा 05 पशु इकाई के लिये इकाई लागत रू0 4,07,250 की धनराशि विभिन्न मदों में निर्धारित की गयी है। योजनान्तर्गत एन0सी0डी0सी0 एवं राज्य सरकार द्वारा योजना लागत का 25 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही लाभार्थी द्वारा प्राप्त ऋण पर बैंक द्वारा निर्धारित 12.00 प्रतिशत ब्याज की दर से देय होगा। ऋण की अदायिगी मासिक किस्तों में अधिकतम 05 वर्षों में की जा सकेगी। अनुदान धनरशि का समायोजन ऋण की अन्तिम अवशेष किस्तों में होगा। योजनान्तर्गत दुधारू पशु राज्य के बाहर से क्रय किये जाने अनिवार्य होगे तथा लाभार्थी द्वारा रू0 100 के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध किया जायेगा साथ ही प्रत्येंक दूध दे रहे प्रति पशु पर 05 ली0 दूध, प्रतिदिन औसत रूप से सम्बन्धित दुग्ध सहकारी समिति को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।
प्रस्ताव संख्या–..... एन0सी0डी0सी0 योजनान्तर्गत ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्राप्त करने पर विचार।	–बैठक में सभी उपस्थितों को योजना की विस्तृत जानकारी प्रदान किये जाने के उपरान्त इच्छुक सदस्यों से आवेदन पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। इस क्रम में निम्न सदस्यों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये– नाम सदस्य / पिता / पति का नाम — रजिस्टर क्रमांक सदस्य — पशु संख्या 1– 2– 3– 4– ,
प्रस्ताव संख्या–..... बैठक में प्राप्त आवेदन पत्रों में से उचित आवेदन पत्रों को	–बैठक में प्राप्त कुल..... आवेदन पत्रों पर विचारोपरान्त निम्न आवेदन पत्रों को निर्धारित मापदण्डों के अनुसार उचित पाया गया। तद्क्रम में निम्न आवेदन पत्र ऋण स्वीकृति हेतु संस्तुति सहित

अग्रसारित करने पर विचार–	अग्रसारित किया जाना सर्वसम्मति से तय पाया गया– नाम सदस्य पिता/पति का नाम रजिस्टर क्रमांक सदस्य पशु संख्या 1– 2– 3– 4– '

हस्ताक्षर व मुहर
अध्यक्ष दुग्ध सहकारी समिति .....

हस्ताक्षर व मुहर
सचिव दुग्ध सहकारी समिति ...

सत्य प्रतिलिति प्रमाणित

हस्ताक्षर व मुहर
पर्यवेक्षक दुग्ध सहकारी समिति .....

हस्ताक्षर व मुहर
प्रभारी पी0एण्ड0आई0/मार्ग प्रभारी, दुग्ध संघ.....

(संलग्नक–2)

डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड
डेरी विकास विभाग, अन्तर्गत, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, द्वारा वित्त पोषित
''राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना''
अन्तर्गत दुधारू पशु इकाई (03 अथवा 05) स्थापना के लिए ऋण हेतु आवेदन–पत्र
(Application-Form)
खण्ड–''अ''

सेवा में,
शाखा प्रबन्धक,
जिला सहकारी बैंक
.....
महोदय,

मैं/हम उपर्युक्त ऋण व्यवस्था के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादन हेतु 03/05 दुधारू पशु इकाई के लिए ऋण लेना चाहता/चाहती हूँ।

इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचनाएं निम्नवत हैं–

1 प्रार्थी का नाम.....
2 पिता/पति का नाम.....
3 पताः ग्राम..... पोस्ट..... विकासखण्ड..... तहसील.....
4 वर्ग/जाति (सामान्य/अनु0जाति/अनु0जनजाति/पिछड़ा/अन्य)–.....
5 मुख्य व्यवसाय..... दूरभाष/मोबाईल नं0.....
6 दुग्ध सहकारी समिति का नाम, जिसके सदस्य हैं..... सदस्य संख्या–
7 वर्तमान में दुधारू पशुओं की संख्याः– गाय..... भैस.....
8 दुग्ध समिति को वर्तमान में आपूर्ति की जा रही दूध की मात्रा..... लीटर
9 खेती के अन्तर्गत भूमि का क्षेत्रफल..... (खसरा खतौनी/ किसान बही का प्रति संलग्न)
10 यदि जमीन लाभार्थी के नाम से न हो और पिता/पति/परिवार को सह ऋणी बनाया जाना है, तो सह ऋणी का लाभार्थी के साथ सम्बन्ध एवं सम्पूर्ण विवरण–.....
.....
.....
11 चल एवं अचल सम्पत्ति/एफ0डी0 आदि का विवरण.....
.....
..... **(उक्त की व्यवस्था न होने पर 02 जमानती जो दुग्ध समिति के सदस्य हों की जमानत उपलब्ध कराई जायेगी)**

11.1– नाम जमानती/पिता–पति का नाम.....
जमानती का दुग्ध समिति सदस्यता कमांक.....
जमानती के पास उपलब्ध चल एवं अचल सम्पत्ति का विवरण.....
12 यदि प्रार्थी ने किसी संस्था या बैंक से ऋण लिया है, तो सम्पूर्ण विवरण.....
.....

क्रमशः.....02

खण्ड–''ब''

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0..... द्वारा संस्तुति

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0..... यह प्रमाणित करती है कि आवेदनकर्ता हमारी दुग्ध सहकारी समिति की सक्रिय सदस्य है तथा उनका चयन दुग्ध समिति की बैठक दिनांक..... ..... को प्रस्ताव संख्या..... (प्रस्ताव की छायापति संलग्न करें) द्वारा कर लिया गया है। साथ ही, दुग्ध समिति उक्त लाभार्थी को ऋण स्वीकृत किये जाने की संस्तुति करती है।

समिति मुहर सहित सचिव व
अध्यक्ष के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर
(पर्यवेक्षक/मार्ग प्रभारी)

ऋण मंजूर होने पर मैं वायदा करता/करती हूँ कि–

1. इस ऋण का उपयोग दुधारू पशु एवं योजना में प्रस्तावित अन्य साजों–सामान खरीदने के लिए उपयोग करूंगा/करूंगी।
2. योजनान्तर्गत प्राप्त ऋण से प्रदेश के बाहर से उन्नत नस्ल के दुधारू पशु क्रय करूंगा/करूंगी।
3. बैंक/बीमा कम्पनी/विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी योजनान्तर्गत क्रय किये गये पशुओं का समय–समय पर निरीक्षण कर सकेंगे।
4. मैं दुधारू पशुओं की हर तरह से देखरेख एवं अच्छी तरह से हिफाजत करूंगा/करूंगी।
5. बैंक द्वारा समय–समय पर दुधारू पशुओं से दुग्ध उत्पादन तथा उसकी बिक्री एवं ऋण अदायगी के संबध में दिये गये आदेशों का पालन करता/करती रहूँगी।

इस संबंध में मै यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण, जो मेरे द्वारा बताये गये हैं, वे सही है। और कोई भी ऐसी बात/असलियत छुपाई नहीं गई है जिससे बैंक द्वारा दिये गये ऋण पर अनुचित प्रभाव पड़े।

संस्तुति सहित अग्रसारित

हस्ताक्षर पर्यवेक्षक	**समिति मुहर सहित सचिव**	**प्रार्थीनी के हस्ताक्षर**
नाम–	व अध्यक्ष के हस्ताक्षर	नाम–

दिनांक.....

क्रमशः..03

खण्ड–''स''

जनपदीय दुग्ध संघ एवं डेरी विकास विभाग की संस्तुति

सुश्री/श्रीमती..... पुत्र/पत्नी श्री.....

निवासी ग्राम..... पोस्ट..... विकास खण्ड.....

जनपद..... का आवेदन पत्र निरीक्षण के पश्चात् सही पाया तथा ऋण देने हेतु

हस्ताक्षर (मुहर सहित)

प्रबंधक/प्रधान प्रबन्धक
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0,
.....।

सहायक निदेशक
डेरी विकास विभाग,
.....।

अनुबन्ध प्रपत्र–I

डेरी विकास विभाग, अन्तर्गत, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, द्वारा वित्त पोषित

''राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना''

ऋण अनुदान राशि हेतु चतुर्पक्षीय अनुबन्ध

(लाभार्थी, सम्बन्धित जिला सहकारी बैंक, दुग्ध सहकारी समिति तथा दुग्ध सहकारी संघ के मध्य)

(रू 100/– के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर)

1. श्री/सुश्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री..... पता–.....जिसे लाभार्थी (प्रथम पक्ष) कहा गया है।
2. .....बैंक के शाखा प्रबन्धक,..... .....शाखा (स्थान) जिसे आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है।
3. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0..... जरिये सचिव, पता..... ..... जिसे आगे तृतीय पक्ष कहा गया है।
4. दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0..... जरिये प्रबन्धक/प्रधान प्रबन्धक/सामान्य प्रबन्धक पता..... जिसे आगे चतुर्थ पक्ष कहा गया है।

चूँकि तृतीय पक्ष एक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0 है, जिसका उद्देश्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के अन्तर्गत उन्नत नस्ल के दुधारू पशु क्रय करने एवं अपने सदस्यों को तकनीकी परामर्श एवं सहायता उपलब्ध कराना है। अतः तृतीय पक्ष ने द्वितीय पक्ष के उपरोक्त ऋण अदायगी में मध्यस्थ के रूप में कार्य करना स्वीकार किया है।

आज दिनांक..... को यह चतुर्पक्षीय अनुबन्ध किया गया, जिसकी शर्तें व अन्य विवरण निम्नवत् हैं–

1. यह कि द्वितीय पक्ष ने स्वीकृत ऋण रू ..... की प्रथम किस्त लाभार्थी प्रथम पक्ष को, (नकद/तृतीय पक्ष) के माध्यम से दिया, जिसकी अदायगी प्रथम पक्ष द्वारा ....प्रतिशत वार्षिक ब्याज (त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक/अन्तराल पर), जो कि ..... बैंक की अग्रिम दर से .....अधिक या कम होगा और भारतीय रिजर्व बैंक के समय–समय पर निर्गत निर्देशों के अनुसार परिवर्तनीय होगा, के साथ मासिक किस्तों में होगी।
2. यह कि प्रथम पक्ष/लाभार्थी करार करता/करती हैं कि द्वितीय पक्ष द्वारा राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कुल मु0 रू.....की धनराशि जो स्वीकृत की गयी है, मे से पशु क्रय की धनराशि क्रय रशीद के अनुसार पशु विक्रेता को, बीमा धनराशि बीमा कम्पनी को सीधे भुगतान करते हुए शेष धनराशि तृतीय पक्ष को प्राप्त करा दिया जाए, जिसके माध्यम से इकाई लागत अनुसार अन्य कार्य करने हेतु मैं पूर्ण सहमत हूँ।
3. यह कि लाभार्थी/प्रथम पक्ष द्वारा उपरोक्त ऋण से क्रय किये गये दुधारू पशु द्वारा उत्पादित समस्त विपणन योग्य गुणवत्तायुक्त दूध, बैंक ऋण अदायगी तक केवल तृतीय पक्ष को देना अनिवार्य होगा तथा दूध कहीं अन्यत्र नहीं बेचा जायेगा।
4. यह कि लाभार्थी/प्रथम पक्ष द्वारा योजनान्तर्त प्राप्त ऋण से योजनान्तर्गत निर्धरित मार्ग–निर्देशिका अनुसार प्रदेश के बाहर से उन्नत नस्ल के दुधारू पशु क्रय किये जायेंगे तथा क्रय किये गये दुधारू पशु को बैंक ऋण अदायगी तक बिक्री नहीं किया जायेगा।

क्रमशः....02

5. यह कि तृतीय पक्ष दूध के मूल्य भुगतान से समुचित धनराशि की कटौती कर द्वितीय पक्ष को ऋण की अदायगी प्रत्येक माह की 10 तारीख तक मासिक किस्तों में करता रहेगा।
6. यह कि यदि लाभार्थी/प्रथम पक्ष कहीं अन्यत्र दूध बेचता है अथवा बैंक ऋण की अदायगी समयानुसार नहीं करता है अथवा योजनान्तर्त क्रय किये गये दुधारू पशुओं को बैंक ऋण अदायगी से पूर्व बिक्री कर देता है, तो तृतीय पक्ष अविलम्ब द्वितीय पक्ष को सूचित करेगा तथा द्वितीय पक्ष ऋण, ब्याज एवं अनुदान की एक मुस्त वसूली उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 एवं संगत नियमावली 2004 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार करने हेतु स्वतन्त्र होगा।
7. चतुर्थ पक्ष का दायित्व होगा कि लाभार्थी द्वारा परियोजना मार्ग निर्देशिका अनुसार दुधारू पशु का क्रय राज्य के बाहर से एवं अन्य धनराशि का भी नियमानुसार व्यय सुनिश्चित हो।
8. चतुर्थ पक्ष द्वारा तृतीय पक्ष के स्तर से उपलब्ध कराये गये समस्त दूध को क्रय करते हुए ससमय दुग्ध मूल्य भुगतान किया जायेगा ताकि ऋण की अदायिगी सुनिश्चित हो सके।
9. यह कि द्वितीय पक्ष को कभी भी आवश्यकता पड़ने पर, तृतीय पक्ष के हिसाब किताब एवं कार्य पद्धतियों के अवलोकन का समुचित अधिकार होगा।
10. यदि उक्त अनुबन्ध में कोई भी विवाद उत्पन्न, होता है तो विवादों का निपटारा उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 एवं संगत नियमावली 2004 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा तथा निर्णय अंतिम व समस्त पक्षों को मान्य होगा।

पक्षगणों ने लिख दिया है, ताकि सनद रहें और वक्त पर काम आये।

प्रथम पक्ष/ लाभार्थी	द्वितीय पक्ष/ शाखा प्रबन्धक	तृतीय पक्ष/ दुग्ध समिति लि0	चतुर्थ पक्ष/ दुग्ध संघ लि0

दिनांकः—

गवाहान का हस्ताक्षर एवं नाम व पता का विवरण

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)

1. नाम.....
पिता का नाम.....
वोटर आई0डी0 कार्ड0/
आधार कार्ड संख्या—.....
पता.....

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)

2. नाम.....
पिता का नाम.....
वोटर आई0डी0 कार्ड0/
अधार कार्ड संख्या—.....
पता.....

हस्ताक्षर (तृतीय पक्ष)

3. नाम.....
पिता का नाम.....
वोटर आई0डी0 कार्ड0/
आधार कार्ड संख्या—.....
पता.....

हस्ताक्षर (चतुर्थ पक्ष)

4. नाम.....
पिता का नाम.....
वोटर आई0डी0 कार्ड0/
अधार कार्ड संख्या—.....
पता.....

अनुबन्ध प्रपत्र–II

डेरी विकास विभाग, अन्तर्गत, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, द्वारा वित्त पोषित

''राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना''

ऋण एवं अनुदान राशि हेतु त्रिपक्षीय अनुबन्ध

(जिला सहकारी बैंक, जनपदीय सहायक निदेशक (डेरी) तथा परियोजना निदेशक (डेरी) के मध्य)

(रू 100/– के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर)

राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना अन्तर्गत डेरी क्षेत्र हेतु 03 एवं 05 दुधारू पशु इकाई स्थापना हेतु परियोजना स्तर पर उपलब्ध ऋण राशि तथा राज सहायता जिला सहकारी बैंक को हस्तान्तरित करने तथा वापसी हेतु एक त्रिपक्षीय अनुबन्ध जिला सहकारी बैंक (प्रथम पक्ष), जनपदीय सहायक निदेशक (डेरी) (द्वितीय पक्ष) तथा परियोजना निदेशक (डेरी) राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना (तृतीय पक्ष) के मध्य आज दिनांक .....को सम्पन्न हुआ। अनुबन्ध की शर्तें निम्नवत् हैं–

1 द्वितीय पक्ष तथा तृतीय पक्ष द्वारा 03 एवं 05 दुधारू पशु इकाई स्थापना हेतु सुझाये गये आवेदन कर्ताओं में से प्रथम पक्ष द्वारा अपनी संतुष्टि उपरान्त अर्ह लाभार्थियों को परियोजना अन्तर्गत निर्धारित इकाई लागत के अनुसार ऋण एवं राज सहायता स्वीकृत करते हुए अपने संशाधनों से धनराशि उपलब्ध करायेगा तथा व्यय हुई धनराशि के समतुल्य धनराशि की मांग द्वितीय एवं तृतीय पक्ष से की जायेगी।

2 तृतीय पक्ष द्वारा परियोजना लागत अनुसार अनुदान की समस्त धनराशि द्वितीय पक्ष को उपलब्ध कराई जायेगी।

3 प्रथम पक्ष द्वारा व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष ऋण धनराशि की मांग द्वितीय पक्ष को प्रस्तुत की जायगी। प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तुत मांग की जांच उपरान्त द्वितीय पक्ष द्वारा मांग प्राप्ति के उपरान्त अधिकतम 04 कार्य दिवसों में तृतीय पक्ष को प्रस्तुत की जायगी।

4 तृतीय पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष स्तर से मांग के आधार पर धनराशि द्वितीय पक्ष को सूचित करते हुए सीधे प्रथम पक्ष को प्रेषित की जायगी।

5 परियोजना लागत अनुसार अनुदान की धनराशि तृतीय पक्ष द्वारा, द्वितीय पक्ष को उपलब्ध कराई गयी धनराशि में से, प्रथम पक्ष की मांग अनुसार जांच उपरान्त तत्काल प्रथम पक्ष को उपलब्ध कराई जायगी।

6 द्वितीय पक्ष एवं तृतीय पक्ष द्वारा सुझाये गये लाभार्थियों को, प्रथम पक्ष द्वारा स्वीकृत किये गये

क्रमशः....02

ऋण पर 10.85 प्रतिशत तथा बैंक चार्ज 01.15 प्रतिशत कुल 12.00 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूल करते हुए, प्रथम पक्ष ऋण राशि 10.85 प्रतिशत ब्याज दर से निर्धारित किस्तों में तृतीय पक्ष को वापस उपलब्ध करायेगा।

7 प्रथम पक्ष द्वारा स्वीकृत ऋण में से दुधारू पशु एवं बीमा हेतु निर्धारित धनराशि सीधे पशु विक्रेता तथा बीमा कम्पनी को उपलब्ध कराई जायेगी।

पक्षगणों ने लिख दिया है, ताकि सनद रहें और वक्त पर काम आये।

प्रथम पक्ष /	द्वितीय पक्ष /	तृतीय पक्ष /
सचिव / महाप्रबन्धक,	सहायक निदेशक	परियोजना निदेशक (डेरी)
जिला सहकारी बैंक		
दिनांकः–		

गवाहान का हस्ताक्षर एवं नाम व पता का विवरण

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)

1. नाम.....
.....
पिता का नाम.....
.....
वोटर आई0डी0 कार्ड0 /
आधार कार्ड संख्या–.....
.....
पता.....

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)

2. नाम.....
.....
पिता का नाम.....
.....
वोटर आई0डी0 कार्ड0 /
अधार कार्ड संख्या–.....
.....
पता.....

हस्ताक्षर (तृतीय पक्ष)

3. नाम.....
पिता का नाम.....
वोटर आई0डी0 कार्ड0 /
आधार कार्ड संख्या–.....
पता.....

(संलग्नक–3)

जनपद स्तर पर एन0सी0डी0सी0 योजनान्तर्गत पशुधन क्रय कमेटी निम्नानुसार होगी–

क्रमांक	नाम अधिकारी / कर्मचारी	क्रय कमेटी में पद
1	वरि0दु0निरीक्षक / दुग्ध निरीक्षक / प्रभारी पी0एण्ड0आई	अध्यक्ष
2	पशु चिकित्सक, दुग्ध संघ	सचिव
3	समिति पर्यवेक्षक	सदस्य
4	सम्बन्धित दुग्ध उत्पादक	सदस्य

क्रय कमेटी दुधारू पशु क्रय से पूर्व निम्नानुसार जांच करेगी–

1–दुधारू गाय का दूध न्यूनतम 12 ली0 से कम न हो तथा पशु 02 ब्यांत से अधिक का न हो।

2–दुधारू भैंस का दूध न्यूनतम 10 ली0 से कम न हो तथा पशु 02 ब्यांत से अधिक का न हो।

3–दुधारू पशु की सम्पूर्ण स्वास्थय जांच सुनिश्चित की जाय।

4–पशु के चारो थन स्वस्थ हों व उनसे दूध की निकासी में किसी प्रकार की रूकावट न हो।

(संलग्नक–4)

डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड
डेरी विकास विभाग, अन्तर्गत, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, द्वारा वित्त पोषित

क्रेता–विक्रेता का विवरण	
क्रेता का विवरण	विक्रेता का विवरण
1 क्रेता का नाम..... 2 पिता/पति का नाम..... 3 लाभार्थी की श्रेणी (APL/BPL) एवं (SC/ST)– ..... 4 पूर्ण पता–..... ..... 5 समिति का क्षेत्र (पर्वतीय/मैदानी)–..... ..... 6 टेलीफोन/मो0नं0..... 7 समिति का नाम.....	1. विक्रेता का नाम..... 2. पिता का नाम..... 3. पूर्ण पता–..... ..... 4. टेलीफोन/मो0नं0..... 5 बैंक खाता संख्या–..... 6 आई0एफ0एस0सी0 कोड–..... 7 बैंक शाखा विवरण–..... ..... 8 पशु का मूल्य उक्त बैंक खातें में हस्तान्तरित किया जाये।

''केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषि सहकारिता परियोजना''
पशु क्रय विवरण–प्रपत्र (प्रत्येक पशु के लिये अलग–अलग)

क्रय पशु का विवरण

1. पशु क्रय करने की तिथि..... पशु की उम्र–.....
2. वाहन का प्रकार व संख्या, जिससे पशु का परिवहन किया गया.....
3. पशु का प्रकार गाय/भैंस–..... पशु की नस्ल.....
4. पशु का मूल्य (रू में)....., (शब्दों में) .....
5. क्रय के समय पशु का दुग्ध मात्रा(ली0) में..... पशु की ब्यांत संख्या–.....
6. पशु का संक्षिप्त विवरण (रंग,माप आदि):–..... टैग न0–.....
7. यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि क्रय किया जा रहा पशु राज्य के बाहर से क्रय किया गया है।
8. मेरे द्वारा पूर्ण सन्तुष्टि उपरान्त उपरोक्त विवरण का पशु रू0....., (शब्दों में) रू0.....में क्रय किया गया है। मै अंकित विवरण अनुसार रू0..... ....., (शब्दों में) रू0..... सम्बन्धित पशु विक्रेता को भुगतान/हस्तान्तरित करने का अधिकार परियोजना कार्यालय को प्रदान करता हूँ।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
क्रेता	विक्रेता	पर्यवेक्षक	पशुचिकित्सक, दुग्ध संघ	अध्यक्ष क्रय कमेटी

घोषणा–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा संलग्न पशु क्रय विवरण/रशीद के अनुसार दुधारू पशु स्वयं की पसन्द से पूर्ण संतुष्टि उपरान्त ..... टाईम का दुहान देखते हुए क्रय किया गया है, जिसका फोटो मेरे एवं विक्रेता के साथ निम्नवत् चस्पा है।

क्रय किये गये पशु सहित क्रेता व विक्रेता एवं क्रय कमेटी के दो सदस्यों का एक संयुक्त रंगीन फोटो

हस्ताक्षर	**हस्ताक्षर**	**हस्ताक्षर**	**हस्ताक्षर**	**हस्ताक्षर**
क्रेता	**विक्रेता**	**पर्यवेक्षक**	**पशुचिकित्सक, दुग्ध संघ**	**अध्यक्ष क्रय कमेटी**

03 पशु इकाई का मदवार विवरण

क्र0 सं0	विवरण	इकाई	मात्रा	03 पशु इकाई (धनराशि लाख रू0 में)							
				दर	सं0	कीमत / इकाई	एन0सी0डी0सी0 अनुदान	राज्य सरकार अनुदान	कुल अनुदान 25%	लाभार्थी अंश 10%	ऋण धनराशि 65%
1	**दुधारू पशु मूल्य**					**165000**	**0**	**41250**	**41250**	**6300**	**117450**
1.1	पशु की कीमत	प्रति पशु	1	50000	3	150000	0	37500	37500	0	112500
1.2	पशु का बीमा		1	2200	3	6600	0	1650	1650	0	4950
1.3	परिवहन व्यय		1	2800	3	8400	0	2100	2100	6300	0
2	**सिविल कार्य (कैटल शैड निर्माण)**					**76000**	**15200**	**3800**	**19000**	**18600**	**38400**
2.1	दुधारू पशु, बच्चा सहित	क्षेत्रफल / पशु वर्गफीट	70	400	2	56000	11200	2800	14000	13500	28500
2.2	दुधारू पशु, बच्चा रहित	क्षेत्रफल / पशु वर्गफीट	50	400	1	20000	4000	1000	5000	5100	9900
3	**प्लान्ट एवं मशीनरी**					**5500**	**1094**	**281**	**1375**	**0**	**4125**
3.1	**मिल्क कैन (40 ली0)**	ली0	1	2750	2	5500	1094	281	1375	0	4125
कुल योग						**246500**	**16294**	**45331**	**61625**	**24900**	**159975**

05 पशु इकाई का मदवार विवरण

क्र0 सं0	विवरण	इकाई	मात्रा	05 पशु इकाई (धनराशि लाख रू0 में)							
				दर	सं0	कीमत / इकाई	एन0सी0डी 0सी0 अनुदान	राज्य सरकार अनुदान	कुल अनुदान 25%	लाभार्थी अंश 10%	ऋण धनराशि 65%
1	**दुधारू पशु मूल्य**					**275000**	**0**	**68750**	**68750**	**10500**	**195750**
1.1	पशु की कीमत	प्रति पशु	1	50000	5	250000	0	62500	62500	0	187500
1.2	पशु का बीमा		1	2200	5	11000	0	2750	2750	0	8250
1.3	परिवहन व्यय		1	2800	5	14000	0	3500	3500	10500	0
2	**सिविल कार्य (कैटल शैड निर्माण)**					**124000**	**24800**	**6200**	**31000**	**30225**	**62775**
2.1	दुधारू पशु, बच्चा सहित	क्षेत्रफल / पशु वर्गफीट	70	400	3	84000	16800	4200	21000	20500	42500
2.2	दुधारू पशु, बच्चा रहित	क्षेत्रफल / पशु वर्गफीट	50	400	2	40000	8000	2000	10000	9725	20275
3	**प्लान्ट एवं मशीनरी**					**8250**	**1631**	**432**	**2063**	**0**	**6187**
3.1	**मिल्क कैन (40 ली0)**	ली0	1	2750	3	8250	1631	432	2063	0	6187
कुल योग						**407250**	**26431**	**75382**	**101813**	**40725**	**264712**